राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांकः एफ.3 (1)(9) I/Elect/2023/ 5382 जयपुर, दिनांकः 20/9/23

प्रेषकः– मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषितिः– समस्त राज्य स्तर के पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल।

विषयः– विधानसभा आम चुनाव, 2023 –घोषणा पत्र भिजवाये जाने के सम्बन्ध में।

प्रसंगः– भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 437/6/Manifesto/2015/CC/628-698 दिनांक 24 अप्रैल, 2015, 437/6/INST/2016-CCS दिनांक 27 दिसम्बर 2016 एवं 437/6/INST/2018-CCS दिनांक 06 दिसम्बर 2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सभी राजनैतिक दलों/अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की गई हैं कि उनके द्वारा जब भी चुनाव घोषणा पत्र जारी किया जावे, उसके तीन दिवस की अवधि में वे अपने निर्वाचन घोषणा पत्र को हिन्दी/अग्रेंजी संस्करण के साथ निर्वाचन रिकोर्ड के लिए इस कार्यालय को प्रेषित किया जावें।

साथ ही राजनैतिक दलों से घोषणा पत्र के साथ एक अतिरिक्त घोषणा पत्र प्रस्तुत करने का भी अनुरोध किया जाता हैं कि कार्यक्रम/नीतियां और वायदे आदर्श आचार संहिता के भाग VIII (प्रति संलग्न) के अनुरूप हैं।

अतः आपसे अनुरोध किया जाता हैं कि आपके द्वारा चुनाव घोषणा पत्र जारी किये जाने के तीन दिवस में, तीन प्रतियां में उपरोक्तानुसार घोषणा पत्र प्रेषित करावें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(प्रवीण गुप्ता)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।
19/9

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांकः एफ.3 (1)(9) I/Elect/2023/5381 जयपुर, दिनांकः 20/9/23

प्रेषकः— मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषितिः—

1. आम आदमी पार्टी, 10, भवानी सिंह लेन, ज्योति नगर, लालकोठी, जयपुर
2. बहुजन समाज पार्टी, डी—170/सी भृगु मार्ग, बनीपार्क जयपुर।
3. भारतीय जनता पार्टी, सी—51 सरदार पटेल मार्ग, सी—स्कीम, जयपुर।
4. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया, (मार्क्ससिस्ट) मजदूर किसान भवन, स्टेशन रोड, जयपुर।
5. इण्डियन नेशनल कांगेस, राजस्थान प्रदेश कांगेस कमेटी, इन्दिरा गांधी भवन, स्टेशन रोड, जयपुर।
6- नेशनल पीपुल्स पार्टी, प्लॉट नं0 Lachaumiere Dis., East Khasi Hills Dist., Shillong- 793001
7. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, प्लॉट नं. 26—27 आउट ऑफ खसरा 170/151, तेजा कॉलोनी, निकट शीतला माता मंदिर, मानासर, जिला नागौर, राजस्थान—341001

विषयः— विधानसभा आम चुनाव, 2023 —घोषणा पत्र भिजवाये जाने के सम्बन्ध में।

प्रसंगः— भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 437/6/Manifesto/2015/CC/628-698 दिनांक 24 अप्रैल, 2015, 437/6/INST/2016-CCS दिनांक 27 दिसम्बर 2016 एवं 437/6/INST/2018-CCS दिनांक 06 दिसम्बर 2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सभी राजनैतिक दलों/अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की गई हैं कि उनके द्वारा जब भी चुनाव घोषणा पत्र जारी किया जावे, उसके तीन दिवस की अवधि में वे अपने निर्वाचन घोषणा पत्र को हिन्दी/अग्रेंजी संस्करण के साथ निर्वाचन रिकोर्ड के लिए इस कार्यालय को प्रेषित किया जावें।

साथ ही राजनैतिक दलों से घोषणा पत्र के साथ एक अतिरिक्त घोषणा पत्र प्रस्तुत करने का भी अनुरोध किया जाता हैं कि कार्यक्रम/नीतियां और वायदे आदर्श आचार संहिता के भाग VIII (प्रति संलग्न) के अनुरूप हैं।

अतः आपसे अनुरोध किया जाता हैं कि आपके द्वारा चुनाव घोषणा पत्र जारी किये जाने के तीन दिवस में, तीन प्रतियां में उपरोक्तानुसार घोषणा पत्र प्रेषित करावें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(प्रवीण गुप्ता)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

Scanned by CamScanner

203

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

F. No. 437/6/INST/2018-CCS

Dated: 6th December, 2018

To

The Chief Electoral Officers of
all States and Union Territories.

Subject: - Instruction regarding Election Manifestos - regarding.

Ref:- (i) ECI Letter No. 437/6/Manifesto/2015/CCS dated 24.04.2015
(ii) ECI letter No. 437/6/INST/2016-CCS dated 27.12.2016.

Sir/Madam,

I am directed to draw your attention to the Commission's letters cited in the reference whereby the Commission had requested all the recognized/registered National and State political parties to send three copies of their Manifesto along with its Hindi/English version to the concerned Chief Electoral Officer within three days of its release along with a declaration that the program/policies and promises made therein are in consonance with Para-VIII of MCC.

2. In pursuance of the Commission's decision on the discussion with political parties in meeting held on 27th August, 2018, the Chief Electoral Officers are requested to reiterate to all recognized political parties above instruction, while clarifying to them the guiding principles on framing of manifesto.

Yours faithfully,

(ASHWANI KUMAR MOHAL)
UNDER SECRETARY

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

No.437/6/Manifesto/2015/CC/ 628-698 Dated 24th April, 2015

To

The President/General Secretary/Chairperson/Convener of
All recognized National and State political Parties.
(List attached)

Subject:-Model Code of Conduct- Guidelines on manifestos-Instructions-reg

Sir/Madam,

As you are aware that on the directions of the Hon'ble Supreme Court, the Commission had after consultation with you, framed guidelines for election manifestos and incorporated the same in the "Model Code of Conduct for the Guidance of the Political Parties and Candidates". A copy of the said Guidelines is enclosed herewith for your ready reference.

2. The Commission has desired that, whenever a political party releases its manifesto for whichever election conducted by the Commission, a (hard) copy of the same along with a soft copy may be sent to the Commission for its record. This may be done for the elections conducted henceforth.

3. I am to request that you may give suitable instructions to your Party functionaries in this regard.

Yours faithfully,

(K.AJAYA KUMAR)

PRINCIPAL SECRETARY

जारी किया/ISSUED ON
25 APR 2015
भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India
नई दिल्ली / New Delhi

Scanned by CamScanner

facilities etc.; or

(d) make any ad-hoc appointments in Government, Public Undertakings etc. which may have the effect of influencing the voters in favor of the party in power.

Note : The Commission shall announce the date of any election which shall be a date ordinarily not more than three weeks prior to the date on which the notification is likely to be issued in respect of such elections.

(vii) Ministers of Central or State Government shall not enter any polling station or place of counting except in their capacity as a candidate or voter or authorized agent.

VIII Guidelines on Election Manifestos

1. The Supreme Court in its judgment dated 5th July 2013 in SLP(C) No. 21455 of 2008 (S. Subramaniam Balaji Vs.Govt. of Tamil Nadu and Others) has directed the Election Commission to frame guidelines with regard to the contents of election manifestos in consultation with all the recognized political parties. The guiding principles which will lead to framing of such guidelines are quoted below from the judgment:-

(i) "Although, the law is obvious that the promises in the election manifesto cannot be construed as 'corrupt practice' under Section 123 of RP Act, the reality cannot be ruled out that distribution of freebies of any kind, undoubtedly, influences all people. It shakes the root of free and fair elections to a large degree".

(ii) "The Election Commission, in order to ensure level playing field between the contesting parties and candidates in elections and also in order to see that the purity of the election process does not get vitiated, as in past been issuing instructions under the Model Code of Conduct. The fountainhead of the powers under which the Commission issues these orders is Article 324 of the Constitution which mandates the Commission to hold free and fair elections."

(iii) "We are mindful of the fact that generally political parties release their election manifesto before the announcement of election date, in that scenario, strictly speaking, the Election Commission will not have the authority to regulate any act which is done before the announcement of the date. Nevertheless, an exception can be made in this regard as the purpose of election manifesto is directly associated with the election process".

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

2. Upon receiving the above directions of the Hon'ble Supreme Court, the Election Commission held a meeting with the recognized National and State Political Parties for consultation with them in the matter and took note of their conflicting views in the matter.

During consultations, while some political parties supported the issuance of such guidelines, others were of the view that it is their right and duty towards voters to make such offers and promises in manifestos in a healthy democratic polity. While the Commission agrees in principle with the point of view that framing of manifestos is the right of the political parties, it cannot overlook the undesirable impact of some of the promises and offers on the conduct of free and fair elections and maintaining level playing field for all political parties and candidates.

3. The Constitution under Article 324 mandates the Election Commission, to conduct elections inter alia to the Parliament and the State Legislatures. Having due regard to the above directions of the Supreme Court and after consultation with the Political Parties, the Commission, in the interest of free and fair elections, hereby directs that Political Parties and Candidates while releasing election manifestos for any election to the Parliament or State Legislatures, shall adhere to the following guidelines :-

(i) The election manifesto shall not contain anything repugnant to the ideals and principles enshrined in the Constitution and further that it shall be consistent with the letter and spirit of other provisions of Model Code of Conduct.

(ii) The Directive Principles of State Policy enshrined in the Constitution enjoin upon the State to frame various welfare measures for the citizens and therefore there can be no objection to the promise of such welfare measures in election manifestos. However, political parties should avoid making those promises which are likely to vitiate the purity of the election process or exert undue influence on the voters in exercising their franchise.

(iii) In the interest of transparency, level playing field and credibility of promises, it is expected that manifestos also reflect the rationale for the promises and broadly indicate the ways and means to meet the financial requirements for it. Trust of voters should be sought only on those promises which are possible to be fulfilled.

Scanned by CamScanner

भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

निर्वाचन सदन
NIRVACHAN SADAN
अशोक रोड, नई दिल्ली - 110 001
ASHOKA ROAD, NEW DELHI - 110 001

No. 437/6/INST/2016-CCS

Dated: 27th December, 2016

To

1. The Chief Electoral Officers of
All States and Union Territories
2. The Chief Secretaries of
All States and Union Territories

Subject: - Instruction regarding Election Manifestos.

Ref: ECI Letter No.-437/6/Manifesto/2015/CCS dated 24.04.2015

Sir,

I am directed to refer to the subject cited and to enclose a copy of Commission's letter dated 27th December, 2016, on the subject cited, wherein the Commission has requested all the recognized/registered National and State political Parties to send three copy of their Manifesto along with its Hindi/English version (if the original version is in regional language) to the concerned Chief Electoral Officer within three days of its release. All the political parties have also been requested to submit a declaration along with its manifesto that the program/policies and promises made therein are in consonance with Para-VIII of MCC.

2. The Commission has instructed that the Chief Electoral Officers should obtain three copies of the manifesto as well as the declaration from the political parties as well as the candidates (if they issue any manifesto), within three days of its release.

3. These instructions will be applicable for the elections conducted henceforth.

Yours faithfully,

(R. K. SRIVASTAVA)
SR. PR. SECRETARY

Scanned by CamScanner

भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

निर्वाचन सदन
NIRVACHAN SADAN
अशोक रोड, नई दिल्ली - 110 001
ASHOKA ROAD, NEW DELHI - 110 001

No. 437/6/INST/2016-CCS

Dated: 27th December, 2016

To

1. President/General Secretary
   National Recognized Political Parties.

2. President/General Secretary
   State Political Parties of all states/UTs.

Subject: - Instruction regarding Election Manifestos.

Ref: ECI Letter No. 437/6/Manifesto/2015/CCS dated 24.04.2015

Sir,

As you are aware that on the direction of the Hon'ble Supreme Court, the Commission had after consultation with recognized political parties, framed guidelines for Election Manifestos and incorporated the same in the "Model Code of Conduct for the Guidance of the Political Parties and Candidates". The Commission, vide the referred letter, had requested all the political parties to submit their manifestos to the Commission after its release.

2. The Commission has further decided that, whenever a political party issues its manifesto, it must forward three copies of the Manifesto along with its Hindi/English version (if the original version is in regional language) to the concerned Chief electoral Officer within three days of its release. Along with it, the parties must also submit a declaration that the program/policies and promises made therein are in consonance with Para-VIII of MCC. This may be done for the elections to be conducted henceforth.

3. I am to request that you may give suitable instructions to your party functionaries in this regard.

Yours faithfully,

(R. K. SRIVASTAVA)
SR. Pr. SECRETARY

Scanned by CamScanner

भारत निर्वाचन आयोग

राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता

i. सामान्य आचरण

1. कोई दल या अभ्यर्थी ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जिससे भिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच विद्यमान मतभेद अधिक गंभीर हो सकते हैं या परस्पर नफ़रत हो सकती है या तनाव पैदा हो सकता है।
2. यदि राजनीतिक दलों की आलोचना की जाए, तो यह उनकी नीतियों और कार्यक्रमों, गत रिकॉर्ड और कार्य तक ही सीमित रखी जाएगी। दलों और अभ्यर्थियों को अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं की सार्वजनिक गतिविधियों से असंबद्ध निजी जीवन के सभी पहलुओं की आलोचना करने से बचना होगा। असत्यापित आरोपों या मिथ्या कथन के आधार पर अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना करने से बचना होगा।
3. मत प्राप्त करने के लिए जाति या संप्रदाय की भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी। मस्जिदों, चर्चों, मंदिरों और पूजा के अन्य स्थलों को निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाएगा।
4. सभी दल और अभ्यर्थी ऐसी सभी गतिविधियों से ईमानदारी से परहेज करेंगे जो निर्वाचन विधि के अधीन "भ्रष्ट आचरण" एवं अपराध हैं जैसे कि मतदाताओं को घूस देना, मतदाताओं को डराना-धमकाना, मतदाताओं का प्रतिरूपण, मतदान केंद्रों से 100 मीटर की दूरी के अंतर्गत प्रचार करना, मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय के समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाएं आयोजित करना और मतदाताओं को मतदान केन्द्रों तक ले जाने और वापस लाने के लिए परिवहन और वाहन उपलब्ध कराना।
5. हर व्यक्ति के शांतिपूर्ण और बाधारहित घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाएगा, फिर चाहे राजनीतिक दल और अभ्यर्थी उनकी राजनीतिक राय या गतिविधियों से कितने भी अप्रसन्न हों। किसी भी परिस्थिति में उनकी राय अथवा गतिविधियों के खिलाफ विरोध जताने के लिए व्यक्तियों के घर के सामने प्रदर्शन आयोजित करने या धरना देने का सहारा नहीं लिया जाएगा।
6. कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी अपने अनुयायियों को किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी भूमि, भवन, परिसर की दीवारों इत्यादि पर झंडा लगाने, बैनर लटकाने, सूचना चिपकाने, नारा लिखने इत्यादि की अनुमति नहीं देगा।
7. राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं और जुलूसों में बाधा खड़ी नहीं करेंगे या उन्हें भंग नहीं करेंगे। किसी राजनैतिक दल के कार्यकर्ता या समर्थक अन्य राजनीतिक दल द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभा में मौखिक या लिखित रूप में सवाल पूछकर या अपने दल के पर्चे बाँटकर बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। किसी दल द्वारा उन स्थानों के आसपास जुलूस न निकाला जाए जहाँ अन्य दल की सभाएं आयोजित हो रही हैं। किसी दल के कार्यकर्ता अन्य दल के कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए पोस्टर नहीं हटाएंगे।

II. सभाएं

1. दल या अभ्यर्थी स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को किसी भी प्रस्तावित सभा के स्थल और समय के बारे में काफी पहले से सूचित करेंगे ताकि पुलिस यातायात को नियंत्रित करने और शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सके।
2. दल या अभ्यर्थी अग्रिम रूप से सुनिश्चित करेगा कि क्या सभा के लिए प्रस्तावित स्थल पर कोई रोक या निषेधाज्ञा लागू तो नहीं है और यदि ऐसे आदेश मौजूद है, तो उनका कड़ाई से पालन किया जाएगा। यदि ऐसे आदेशों से किसी रियायत की आवश्यकता हो, तो अग्रिम रूप से इसके लिए आवेदन किया जाएगा और प्राप्त किया जाएगा।
3. यदि किसी प्रस्तावित सभा के संबंध में लाउडस्पीकरों या किसी अन्य सुविधा के उपयोग के लिए अनुमति या अनुज्ञा प्राप्त करने की आवश्यकता है, तो दल या अभ्यर्थी अग्रिम रूप से संबंधित प्राधिकरण के समक्ष आवेदन करेगा और यह अनुमति या अनुज्ञा प्राप्त करेगा।
4. सभा के आयोजक सभा में बाधा खड़ी करने वाले या अन्यथा अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस की निरपवाद रूप से सहायता प्राप्त करेगा। स्वयं आयोजक ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेंगे।

III. जुलूस

1. जुलूस का आयोजन करने वाला दल या अभ्यर्थी जुलूस शुरू करने का स्थान और समय, अनुगमन किए जाने वाले मार्गों और जुलूस समाप्त होने का स्थान और समय पहले से ही तय करेगा। साधारण तौर पर कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. आयोजक स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को कार्यक्रम की अग्रिम सूचना देंगे ताकि स्थानीय पुलिस प्राधिकारी आवश्यक व्यवस्था कर सकें।
3. आयोजक यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन इलाकों से जुलूस निकालना है, क्या उन इलाकों में कोई प्रतिबन्ध आदेश लागू है और प्रतिबन्ध आदेशों का पालन करेंगे यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से रियायत नहीं दी गई है। यातायात संबंधी किन्हीं विनियमों या प्रतिबंधों का भी ध्यानपूर्वक अनुपालन किया जाएगा।
4. आयोजक जुलूस निकालने के लिए अग्रिम रूप से व्यवस्था करने हेतु कदम उठाएंगे ताकि यातायात में कोई रूकावट या बाधा न आए। यदि जुलूस बहुत लंबा है, तो इसे उचित लंबाई के कई हिस्सों में आयोजित किया जाएगा, ताकि सुविधाजनक अंतरालों पर, विशेष रूप से उन स्थानों पर जहाँ जुलूस को सड़क का चौराहा पार करना है, रुके हुए यातायात को कई चरणों में छोड़ा जा सके जिससे कि यातायात में भारी जाम से बचा जा सके।
5. जुलूस को इस प्रकार से विनियमित किया जाएगा कि जहाँ तक संभव हो यह सड़क के दाहिने तरफ रहे और ड्यूटी पर तैनात पुलिस के निर्देशों और सलाहों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।
6. यदि दो या अधिक राजनीतिक दल या अभ्यर्थी जुलूस को समान रास्तों या उसके किसी भाग से एक ही समय पर ले जाने का प्रस्ताव देते हैं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि दोनों जुलूस आपस में न टकराएं या यातायात में बाधा उत्पन्न न करें, आयोजक अग्रिम रूप से संपर्क करेंगे

निर्वाचन
निर्वाचन कानून
महत्वपूर्ण निर्देश
अनुदेशों का सार संग्रह
हैंडबुक
मैनुअल
मॉडल जाँच सूची
आदर्श आचार संहिता
निर्वाचन घोषणापत्र

cVIGIL

cVIGIL provide time-stamped evidentiary proof of model code of conduct / Expenditure Violation, having live photo/video with auto location data. Read More

Scanned by CamScanner

और अवरोध आने वाले उपायों के बारे में निर्णय लेंगे। संतोषजनक व्यवस्था पर पहुँचने के लिए स्थानीय पुलिस की सहायता ली जाएगी। इस प्रयोजनार्थ दल पुलिस से यथाशीघ्र संपर्क करेंगे।

7. राजनीतिक दल या अभ्यर्थी, जुलूस में भाग लेने वाले लोगों के पास मौजूद ऐसी वस्तुओं जिनका अवांछनीय लोगों द्वारा विशेष रूप से उत्तेजना के पलों में दुरूपयोग किया जा सकता है, पर अधिकतम संभव सीमा तक नियंत्रण रखेंगे।

8. किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा अन्य राजनीतिक दलों के सदस्यों या उनके नेताओं को निरूपित करने वाले पुतले ले जाने, जनता के बीच इन पुतलों को जलाने और इस तरह के अन्य प्रकार के प्रदर्शन का समर्थन नहीं किया जाएगा।

V. मतदान दिवस

सभी राजनीतिक दल और अभ्यर्थी -

1. शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित मतदान और मतदाताओं को किसी भी तरह से परेशान किए बिना या कोई अड़चन पैदा किए बिना उन्हें अपने मताधिकार का उपयोग करने की पूरी स्वतंत्रता का सुनिश्चय करने के लिए निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ सहयोग करेंगे।
2. अपने प्राधिकृत कार्यकर्ताओं को उचित बैज और पहचान पत्र प्रदान करेंगे।
3. इस बात पर सहमति देंगे कि उनके द्वारा मतदाताओं को प्रदान की गई पहचान पर्ची सादे (सफेद) कागज पर होगी और उस पर कोई प्रतीक, अभ्यर्थी का नाम या दल का नाम नहीं होगा।
4. मतदान के दिन और इससे अड़तालीस घंटे पहले शराब देने या बांटने से दूर रहेंगे।
5. राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा मतदान बूथों के पास लगाए गई शिविरों के निकट अनावश्यक भीड़ इकट्ठा नहीं होने देंगे ताकि दलों के कार्यकर्ताओं और समर्थकों और अभ्यर्थियों के मध्य टकराव और तनाव से बचा जा सके।
6. सुनिश्चित करेंगे कि अभ्यर्थी के शिविर साधारण होंगे। वे कोई पोस्टर, झंडा, प्रतीक, या कोई अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं करेंगे। कोई खाद्य सामग्री परोसी नहीं जाएगी अथवा भीड़ को शिविर में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और
7. मतदान के दिन वाहनों के यातायात पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों के अनुपालन में प्राधिकारियों का सहयाग करेंगे और उनके लिए अनुज्ञापत्र प्राप्त करेंगे जो उन वाहनों पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होने चाहिए।

VI. मतदान बूथ

मतदाताओं के छोड़कर, ऐसा कोई व्यक्ति मतदान बूथ के भीतर प्रवेश नहीं करेगा जिसके पास निर्वाचन आयोग का कोई मान्य पास नहीं है।

VII. प्रेक्षक

निर्वाचन आयोग प्रेक्षकों को नियुक्त करता है। यदि अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को निर्वाचनों के संचालन के संबंध में कोई विशेष शिकायत या समस्या है, तो उसे प्रेक्षक के ध्यान में ला सकते हैं।

VII. सत्ताधारी दल

केंद्र या राज्य या संबंधित राज्यों का सत्ताधारी दल यह सुनिश्चित करेगा कि इस वजह से शिकायत का अवसर न दिया जाए कि उन्होंने अपने निर्वाचन अभियान के प्रयोजनार्थ अपनी आधिकारिक स्थिति का उपयोग किया है और विशेष रूप से:-

1. (क) मंत्री अपने सरकारी दौरों को निर्वाचन संबंधी कार्यों के साथ नहीं जोड़ेंगे और साथ ही निर्वाचन संबंधी कार्यों के दौरान सरकारी मशीनरी या कर्मचारियों का उपयोग नहीं करेंगे।

   (ख) सत्ताधारी दल के हित को बढ़ावा देने के लिए सरकारी विमानों, वाहनों सहित सरकारी परिवहन, मशीनरी और कर्मचारियों का उपयोग नहीं करेंगे;

2. निर्वाचन के संबंध में निर्वाचन सभाएं आयोजित करने के लिए मैदानों इत्यादि जैसे सार्वजनिक स्थानों और हवाई उड़ानों के लिए हेलीपैड्स के उपयोग पर किसी का एकाधिकार नहीं होगा। अन्य दलों और अभ्यर्थियों को उन्हीं नियमों और शर्तों पर ऐसे स्थानों और सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी जिन नियमों और शर्तों पर सत्ताधारी दल इनका उपयोग करता है;
3. विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों पर सत्ताधारी दल या उसके अभ्यर्थी का एकाधिकार नहीं होगा और अन्य दलों और अभ्यर्थियों को निष्पक्ष ढंग से इन आवासों का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी किन्तु कोई भी दल या अभ्यर्थी इन आवासों (उसके अंतर्गत मौजूद परिसरों सहित) का उपयोग अभियान कार्यालय के रूप में या निर्वाचन प्रचार के प्रयोजनार्थ कोई सार्वजनिक सभा आयोजित करने के लिए नहीं करेगा या ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी;
4. सार्वजनिक राजकोष की लागत पर समाचार पत्रों और अन्य मीडिया मे विज्ञापन प्रकाशित करने और निर्वाचन अवधि के दौरान पक्षपातपूर्ण कवरेज के लिए राजनीतिक समाचारों की सरकारी मास मीडिया का दुरुपयोग और सत्ताधारी दल की संभावनाओं को बढ़ाने की दृष्टि से उनकी उपलब्धियों के संबंध मे प्रचार करने से सावधानीपूर्वक बचेंगे;
5. मंत्री और अन्य प्राधिकारी आयोग द्वारा निर्वाचनों की घोषणा के समय से विवेकाधीन निधियों से अनुदानों/भुगतानों की सस्वीकृति प्रदान नहीं करेंगे; और

6. आयोग द्वारा निर्वाचनों की घोषणा के समय से, मंत्री और अन्य प्रधिकारी -

   (क) किसी भी रूप में कोई वित्तीय अनुदान या इससे संबधित प्रतिज्ञाओं की घोषणा नहीं करेंगे; या
   (ख) किसी भी प्रकार की परियोजनाओं या योजनाओं का शिलान्यास इत्यादि नही रखेंगे (सरकारी कर्मचारियों के अलावा); या
   (ग) सड़कों के निर्माण, पेय जल की सुविधाओं के प्रावधान इत्यादि का कोई वचन नहीं देंगे; या
   (घ) सरकारी, सार्वजनिक उपक्रमों इत्यादि में कोई तदर्थ नियुक्ति नहीं करेंगे जिससे मतदाताओं पर सत्ताधारी दल के पक्ष में प्रभाव पड़ता हो।

   नोट : आयोग किसी निर्वाचन की तारीख घोषित करेगा, जो उस तारीख से आम तौर पर अधिकतम तीन सप्ताह पहले की तारीख होगी जिस दिन इस निर्वाचन के संबंध में अधिसूचना जारी होने की संभावना है।
7. केन्द्र या राज्य सरकार के मंत्री बतौर अभ्यर्थी या मतदाता या प्राधिकृत अभिकर्ता की हैसियत के अतिरिक्त किसी मतदान केन्द्र या मतगणना के स्थान मे प्रवेश नहीं करेंगे।

VIII. निर्वाचन घोषणा पत्र संबंधी दिशानिर्देश

1. 2008 की एसएलपी (सी) संख्या 21455 (एस सुब्रमणियम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार एवं अन्य) में उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 5 जुलाई 2013 के अपने निर्णय में निर्वाचन आयोग को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के परामर्श से निर्वाचन के घोषणा पत्र की अंतर्वस्तु के संबंध मे दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया है। निर्णय मे से उन निर्देशक सिद्धातो को नीचे उद्धत किया गया है जो दिशानिर्देशों को तैयार करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे: -

Scanned by CamScanner

(i) हालांकि विधि स्पष्ट है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के अधीन निर्वाचन के घोषणा पत्र के प्रतिज्ञाओं को भ्रष्ट आचरण नहीं समझा जा सकता है, इस वास्तविकता की उपेक्षा नहीं की जा सकती है कि किसी भी प्रकार के मुफ्त उपहारों का वितरण निःसंदेह सभी लोगों को प्रभावित करता है। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों की जड़ों को काफी हद तक हिला कर रख देता है।

(ii) निर्वाचनों में निर्वाचन लड़ने वाले दलों और अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान करने का सुनिश्चय करने के लिए और यह भी देखने के लिए कि निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल दल भ्रष्ट न हो जाए, निर्वाचन आयोग पहले भी आदर्श आचार संहिता के अधीन अनुदेश जारी करता रहा है। शक्तियों का वह स्रोत जिसके अधीन आयोग ये आदेश जारी करता है, वह संविधान का अनुच्छेद 324 है जो आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपता है।

(iii) हम इस तथ्य के प्रति सचेत रहते हैं कि आम तौर पर राजनीतिक दल निर्वाचन की तारीख की घोषणा से पहले अपना निर्वाचन घोषणा पत्र जारी कर देते हैं, उस परिदृश्य में, सच तो यह है कि निर्वाचन आयोग को तारीख की घोषणा से पहले किए गए किसी कार्य को विनियमित करने का प्राधिकार नहीं होगा। तथापि, इस बारे में एक अपवाद निर्मित किया जा सकता है क्योंकि निर्वाचन के घोषणा पत्र का प्रयोजन प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ा है।

2. माननीय उच्चतम न्यायालय का उपर्युक्त निर्देश मिलने पर, निर्वाचन आयोग ने इस मामले में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यीय राजनीतिक दलों से परामर्श के लिए उनके साथ एक बैठक आयोजित की और इस मामले में उनके परस्पर विरोधी दृष्टिकोणों को नोट किया गया। परामर्श के दौरान, कुछ राजनीतिक दलों ने ऐसी दिशानिर्देशों के जारी होने का समर्थन किया, जबकि अन्य दलों की राय यह थी कि स्वस्थ लोकतांत्रिक शासन पद्धति में घोषणा पत्र में ऐसे प्रस्ताव और वचन देना मतदाताओं के प्रति उनका अधिकार और कर्तव्य है। यद्यपि आयोग इस दृष्टिकोण से सिद्धांततः सहमत है कि घोषणा पत्र तैयार करना राजनीतिक दलों का अधिकार है, फिर भी आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों के संचालन और सभी राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान करने पर कुछ प्रस्तावों और वचनों के अवांछनीय प्रभावों की उपेक्षा नहीं कर सकता है।

3. संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को अन्य के साथ-साथ संसद और राज्य विधान मंडलों का निर्वाचन संचालित करने का अधिदेश देता है। उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्देश को समुचित रूप से ध्यान में रखते हुए और राजनीतिक दलों के साथ परामर्श करने के बाद, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों के हित में आयोग एतद्द्वारा निर्देश देता है कि राजनीतिक दल और अभ्यर्थी संसद या राज्य विधान मंडलों के किसी भी निर्वाचन के लिए निर्वाचन घोषणा पत्र जारी करते समय निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करेंगे -

(i) निर्वाचन घोषणा पत्र में संविधान में प्रतिष्ठापित आदर्शों और सिद्धांतों के विरूद्ध कुछ भी शामिल नहीं होगा और इसके अतिरिक्त यह आदर्श आचार संहिता के अन्य उपबंधों के साथ सुसंगत होगा।

(ii) संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत राज्य को नागरिकों के कल्याण के लिए विभिन्न उपाय तैयार करने का आदेश देते हैं और इसलिए निर्वाचन घोषणा पत्र में ऐसे कल्याण के वचनों के प्रति कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। तथापि, राजनीतिक दलों को ऐसे वादे करने से परहेज करना चाहिए जिससे निर्वाचन प्रक्रिया की पवित्रता दूषित हो सकती है या अपने मताधिकार का उपयोग करने में मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव पड़ सकता है।

(iii) पारदर्शिता, समान अवसर और वादों की विश्वसनीयता के हित में, यह आशा की जाती है कि घोषणा पत्र में वादों की तार्किकता भी प्रतिबिंबित होगी और मोटेतौर पर इसके लिए आवश्यक वित्त प्राप्त करने के तरीके और साधन विस्तृत रूप से इंगित होंगे। केवल उन वादों पर मतदाताओं का भरोसा हासिल किया जाना चाहिए जिन्हें पूरा किया जाना संभव हो।

मतदाता कार्ड के लि... सूचना का अधिकार
ऑब्जर्वर पोर्टल ऑनलाइन आरटीआई
शिकायत दर्ज करें ... डिजिटल डाउनलो...
वर्तमान निर्वाचन प्रपत्र डाउनलोड करें

वर्तमान मुद्दे परिणाम और सां...
प्रेस विज्ञप्तियां मैनुअल
महत्वपूर्ण निर्देश अनुदेशों के सार संग्रह
हैंडबुक पुस्तकालय और प्र...

संचार आईटी और ऑटोम...
परिसीमन राजनीतिक दल
व्यय अधिकारियों के लिए...
अंतरराष्ट्रीय सहयोग

स्वीप इसीआई के बारे में
मतदाता खोज आयोग
राष्ट्रीय मतदाता पोर्टल इसीआई निदेशिका
वॉयस नेट हमसे संपर्क करें

और पढ़ें

नवीनतम प्रकाशन
OBSERVER HAND BOOK, AU...
Narrative Report of 17th Lok...
Sansad Ratna Awards 2022...

Form 6 - Application Form fo...
प्रपत्र 6क-प्रवासी भारतीय निर्वाचक
Form 8 - Application Form fo...

मतदाता हेल्पलाइन ऐप
हमारा मोबाइल ऐप 'मतदाता हेल्पलाइन' प्ले स्टोर एवं ऐप स्टोर ...
और पढ़ें

होम गोपनीयता नीति सामग्री कॉपीराइट सामग्री हाइपरलिंकिंग नियम एवं शर्तें लघुरूप साइट मैप

Made in ECI
© कॉपीराइट भारत निर्वाचन आयोग
... 25.02.2019 को स्थापित

Scanned by CamScanner